



L. D. $\frac{2}{7}$

② 13/11/13 ता. प. --- 2/4
दि. र. --- 4

शे. व. --- 3

उ. नं. --- 430

संसाधन विभाग, इलाहाबाद जिल्ला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत.

श्रीमती. कर्मलका देवी

नामा

इलाहाबाद

कोठ नं. १००, सारंगनाथ चौराहा, १५५,
जिलादारा जिल्ला, इलाहाबाद जिल्ला,
सारंगनाथ चौराहा, सारंगनाथ चौराहा,
दूर नं. लहरीज, इलाहाबाद जिल्ला,
उत्तर प्रदेश, भारत.

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, दिनांक - १-५-१५

को. नं. (इलाहाबाद) द्वारा जारी राखिएको छ ।



प्रमाणित
सत्यता प्रमाणित
Muzaffar Khan
Sant Kabir Nagar



न्यायालय उपमहिलाधिकारी खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

संख्या- 98 /2013

श्रीमती सविता चतुर्वेदी प्रबन्धक

राज्य कलेज आफ एजुकेशन

अन्तर्गत धारा-143 जमींदारी विन्यास अधिनियम

साकिन-मीरगज तथा चुरेव परगना मगहर पूरब

तहसील खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

आदेश-

श्रीमती सविता चतुर्वेदी प्रबन्धक सूर्या कालेज आफ एजुकेशन मीरगज तहसील खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर द्वारा मेरे न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 30/10/2012 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम मीरगज के गाटा संख्या 302/1,732 व 305/621 रकबा 0.052 का हानना लिया है जिसमें सूर्या कालेज आफ एजुकेशन मीरगज के वाणिज्यिक शैक्षणिक संस्थान खोलकर उसमें भवन निर्माण करा दिया है। आराजी निजाई में कृषि कार्य नहीं होता है। आराजी निजाई पूर्णतः आबादी हो चुका है। आराजी निजाई को श्रेणी(2) बना दिया जाय। तहसीलदार खलीलाबाद से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में नियम के अनुसार भर्ती गई संख्या 143 ज0वि0अधिनियम के अनुसार एक से छ तक आख्या निम्न प्रकार है।

धारा 143 ज0वि0अधिनियम 135 के नियम प्रारूप पर रिपोर्ट संलग्न है। राजस्व ग्राम मीरगज तथा चुरेव परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर।

क्र. सं.	भूमिधर का नाम	खलीली खाता संख्या	खाता का क्षेत्रफल	मालगुजारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विटिडि गैर कृषि प्रयोजन के लिए रकबा या उसका कोई भाग	विशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मीरगज	सूर्या कालेज आफ एजुकेशन मीरगज प्रबन्धक श्रीमती सविता चतुर्वेदी प्रती उदय प्रताप नारायण चतुर्वेदी साकिन-भिटडा	344	1.069	34.55	302 305/6 21	1.069	गाटा संख्या 302 मि रकबा 1.039 हे० व 305/621 मि रकबा 0.030 हे० में भवन निर्माणाधीन है।	सूर्या कालेज आफ एजुकेशन मीरगज का भवन निर्माणाधीन है।

प्रबन्धक

प्रबन्धक द्वारा स्वयं वाद दायित्व स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में नोटिस दिया गया है।

संख्या- 302/1,039 व 305/621 मि/0.030 हे० ग्राम मीरगज तथा चुरेव परगना मगहर पूरब तहसील खलीलाबाद आवेक्षण अपने हिस्से की भूमि पर कायज है। पेड़ आदि दखलाने के लिए सूर्या कालेज आफ एजुकेशन मीरगज प्रबन्धक कृषि उपयोगी रक्षपालन जिसके अन्तर्गत कुकुट पालन मत्स्य पालन भी है उसे नहीं करवाया जाय। गाटा संख्या- 302/1,039 व 305/621 मि/0.030 हे० धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकृत घोषित किया जाना है। पत्रावली में नजरी भक्षणा संलग्न है।

575

संख्या-302मि/1.039 व 305/621मि/0.030 हे0 भूमि अकृषिक करन हेतु आवेदन
है जो नोके पर अकृषिक है।

द्वारा राजस्व न्यायालय के मैनुअल के पैरा 405 के निर्धारित दर से रेट बैंक
रुपया 503-00 शीर्ष मालगुजारी की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के
आलान संख्या को020019 दिनांक: 24.04.2013 जमा कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम
तम्पा घुरेब परगना नगहर पूरब तहसील खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर के गाटा गाटा
302मि/1.039 व 305/621मि/0.030 हे0मालगुजारी 34.55 पैसे के आधार पर विचालय के
अनुसूचित सवकमर्णाव भूमिधर की भूमि कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त किये जाने के कारण ज0वि0
अधिनियम को धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित
काल भूखण्ड पूर्णतः अकृषिक है।

आवेदिका की आख्या में उल्लिखित रकवा 1.069 हे0 अकृषिक है तथा जमींदारी विनियम
नियम 135 के पैरा 6 हवन्दी का खर्चा संबंध भूमिधर से मालगुजारी रकवा को
भनसति रूपया 503 -00 जमा कोष किया गया है जिसमें नियमानुसार ज0वि0 अधिनियम
धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि प्रख्याति किया जा सकता है।

द्वारा पत्रावली का अयलोकन किया गया। तहसीलदार खलीलावाद की जांच आख्या एवं
गत तरीके से धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित
जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं व्यक्त की गई है। धारा 143 ज0वि0 अधिनियम 135 की
प्रकृत प्रारूप संलग्न है। आ0स0 302मि/1.039 व 305/621मि/0.030 हे0 में सूर्या कालेज
एजुकेशन बना हुआ है तथा कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह भूमि ग्राम भीरगंज में स्थित
है जो अकृषिक किये जाने हेतु उपयुक्त है।

अतः ग्राम भीरगंज तम्पा घुरेब परगना नगहर पूरब तहसील खलीलावाद के खतौनी फसली
खता संख्या-344 के गाटा संख्या-302मि/1.039 व 305/621मि/0.030
मालगुजारी 34.55 रु0 खातेदार सूर्या कालेज आफ एजुकेशन द्वारा प्रबन्धक श्रीमती सविता
सती उदयप्रतापनरायन चतुर्वेदी ग्राम भीरगंज तम्पा घुरेब परगना नगहर पूरब तहसील
खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर के धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित
किया जाते हैं। यह आदेश केवल पत्रावली सहित अभिलेखागार ही।

S. K. P. 11/11/13

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी, खलीलावाद।

उपनिबन्धक खलीलावाद को इस आशय से प्रेषित कि वह धारा 143 में दी गई
घोषणा की निश्चुत्क नियत रीति से रजिस्ट्री करें।

दिनांक 12/11/13
दिनांक 13/11/13
दिनांक 13/11/13

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी, खलीलावाद।